



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अक्टूबर 1933 (श0)  
(सं0 पटना 672) पटना, बुधवार, 23 नवम्बर 2011

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

16 नवम्बर 2011

सं0 3/एम-75/2008 सां-3468—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति तक होगा जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियम विधायी शक्तियों के अधीन हो।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-12 के बाद नया नियम-12-क जोड़ा जाना।— उक्त नियमावली के नियम-12 के बाद एक नया नियम 12-क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा—

“12-क. प्रत्येक सरकारी सेवक, अपने ऊपर सौंपे गये कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक पालन के प्रयोजनार्थ जनता में से किसी को या किसी संस्था को पूर्ण एवं सही जानकारी, जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया जा सकता हो, का संसूचन करेगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रावधानों का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जायेगा कि किसी वर्गीकृत सूचना का किसी अप्राधिकृत रूप में अथवा किसी सरकारी सेवक या अन्य को अनुचित लाभ के लिए संसूचन की अनुमति दी गई है।”

3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-14 के उप-नियम (2), उप-नियम (3) एवं उप-नियम (4) में संशोधन।—

उक्त नियमावली के नियम-14 में जहाँ-जहाँ अंकों एवं शब्दों में क्रमशः “500 रु० (पाँच सौ)”, “200 रु० (दो सौ रुपये)”, “75 रु० (पचहत्तर रुपये)” एवं “25 रु० (पच्चीस रुपये)” का प्रयोग हुआ है वहाँ-वहाँ उसे अंकों एवं शब्दों क्रमशः “15000 रु० (पन्द्रह हजार रुपये)”, “6000 रु० (छह हजार रुपये)”, “3000 रु० (तीन हजार रुपये)” एवं “1000 रु० (एक हजार रुपये)” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 में संशोधन।—

(i) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (1) में शब्द समूहों 'हरेक बारह मासों के अंतराल पर' के बाद और शब्द-समूहों "अपनी आस्तियों एवं दायित्वों" के पूर्व, शब्द-समूहों "अर्थात् 31 दिसम्बर के बाद 28/29 फरवरी तक" को अंतःस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(3) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसका मूल्य सरकारी सेवक के दो माहों के मूल वेतन जोड़ ग्रेड-वेतन से अधिक हो, ऐसे संव्यवहार के पूर्ण होने के एक माह के अन्दर सरकार को जानकारी देगा;

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो तो सरकार की पूर्व मंजूरी ली जायेगी।"

(iii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उप-नियम (1) की टिप्पणी (2) तथा उप-नियम (5) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में अंक एवं शब्द "1000 रु० (एक हजार रुपये)" को अंक एवं शब्दों "30,000 रु० (तीस हजार रुपये)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उक्त नियमावली के नियम 19 के उप-नियम (7) के बाद निम्नलिखित एक नया उप-नियम (8) जोड़ा जाएगा-

"(8) वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
नवीन चन्द्र झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

16 नवम्बर 2011

सं० 3/एम-75/2008 सा०-3469/ अधिसूचना संख्या 3468, दिनांक 16 नवम्बर 2011 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
नवीन चन्द्र झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

### The 16<sup>th</sup> November 2011

No. 3/M-75/2008-3468—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 to the constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 -

1. *Short title, extent & commencement.*— (1) These Rules may be called "Bihar Government Servant Conduct (Amendment) Rules, 2011.

(2) These Rules shall apply to every person appointed to a Civil Service or post in connection with the affairs of the state of Bihar and who are subject to Rules making powers of the Government.

(3) It shall come into force at once.

2. *Addition of a new Rule 12-A after Rule-12 of Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976*—In the said Rules, after rule-12, the following new rule 12-A shall be added—

"12-A". Every Government servant shall, in performance of this duties in good faith communicate to a member of public or any organization full and accurate information, which can be disclosed under the Right to Information Act, 2005.

*Explanation.*—"Nothing in this rule shall be considered as permitting communication of classified information in an unauthorized manner or for improper gains to a Government servant or others."

3. *Amendment in sub-rule(2), sub-rule(3) and sub-rule(4) of Rule-14 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.*—In the said Rules, in rule 14 wherever the figures and words as "Rs. 500 (Five hundred)", "Rs. 200 (Two hundred)", "Rs. 75 (Seventy five)" and "Rs. 25 (Twenty five)", respectively been used, shall be substituted

by the figures and words "Rs. 15,000 (Fifteen thousand)", "Rs. 6,000 (Six thousand)", "Rs. 3,000 (Three thousand)" and "Rs. 1,000 (One thousand)", respectively.

4. *Amendment in rule 19 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.—*

- (i) In said Rules, in sub-rule (1) of rule-19, after the group of words "at the interval of every twelve months" and before the group of words "submit to the", the group of words, i.e. after 31<sup>st</sup> December till 28/29<sup>th</sup> February," shall be inserted.
- (ii) In the said Rules, sub-rule (3) of rule 19 shall be substituted by the following:-  
 "(3) Every government servant shall intimate the Government in respect of each transaction, whose value exceeds two months basic pay plus grade pay of the government servant within a month of the completion of such transaction;  
 Provided that, the previous sanction of the Government shall be obtained if any such transaction is to be done with a person having official dealings with a government servant."
- (iii) In the said Rule, in the note-(II) of sub-rule (1) and part (a) of the explanation of sub-rule(5) of Rule 19 the figure and word Rs. 1000 (One thousand) shall be substituted by the figure and word ` 30,000(Thirty thousand).
- (iv) *In the said rule the following new sub-rule (8) will be added after sub-rule(7)—*  
 "(8) The Government or the prescribed authority may stop the salary of the Government Servant not submitting the required return on time till he/she submits the return. Not submitting the return on time will be construed as grave misconduct in discharge of his/her duty for which he/she will be liable for departmental proceedings."

By order of the Governor of Bihar,  
 NAVIN CHANDRA JHA,  
 Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 672-571+10-डी०टी०पी०।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार सरकार,  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 7 अप्रैल, 2001।

~~संख्या-3/वि-01/2000/10/1847~~ भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सरकारी सेवा आचार  
नियमावली, 1976 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1- बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली, 1976 में नियम 24 के पश्चात्  
निम्नलिखित नियम जोड़ा जाना किया जायेगा, अर्थात्-

24क. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबन्ध:-  
कोई भी सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं  
लगायेगा।

§3/वि-01/2000§

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*Amul*  
4.4.01

§हास्य रसिद§

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पटना, दिनांक- 7-4-2001

संख्या- 1847

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणखाना, मुन्नारबाग, पटना को राजपत्र के

अनुधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित । अनुरोध है कि इसकी दो हजार प्रतियां  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को शीघ्र उपलब्ध करावें ।

*Amul*  
4.4.01

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पटना, दिनांक- 7-4-2001

संख्या-

1847

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय

आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/महाधिवक्ता,

बिहार उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

*Amul*  
4.4.2001

सरकार के संयुक्त सचिव ।

*Amul*

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 7 अप्रैल, 2001.

संख्या-3/नि-01/2000का 1848 / अधिसूचना संख्या-... 18.4.7... दिनांक. 7.4.2001

..... का अंगरेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से  
स्तद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड {3} के  
अंतर्गत अंगरेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

{3/नि-01/2000}

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*Haroon Rashid*  
{डा. हारून रशीद}

सरकार के संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

1847 / In exercise of the powers conferred by the  
proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor  
of Bihar is pleased to make the following rules further amending  
the Bihar Government Servants Conducts Rules, 1976, namely-

1. In the Bihar Government Servants conduct Rules, 1976, after  
rule 24, the following rule shall be inserted, namely

"24-A Prohibition regarding employment

of Children below 14 years of age -No Government

Servant shall employ to work any child below the age of 14 years."

(3/vi-01/2000)

By order of the Governor of Bihar,

*Haroon Rashid*  
(Haroon Rashid)

Joint Secretary to Government.

Memo No 3/NI-01/2000 1848 / Patna, 15, Dated 7 April, 2001.

Copy forwarded to the Superintendent, Govt. Press,  
Gulzarbagh for publication in extraordinary issue of the Gazette and  
for sending 2000 copies to the Department of Personnel and  
Administrative Reforms.

*Haroon Rashid*  
Joint Secretary to Govt.

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

श्री कृष्णदास सिंह,  
सरकार के ऊपर सचिव।

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी सिला पदाधिकारी

कृषि, बिहार विधान सभा

कृषि, बिहार विधान परिषद

विद्यार्थक, उच्च न्यायालय।

पटना - १५, दिनांक १५ नवम्बर, १९७६।

बिहार सरकारी सेवक (बायर्स) नियमावली, १९७६ के नियम १९ का स्विकारण।

निदेशानुसार भूखे कहना है कि राज्य सरकार की समस्त समस्त पर सरकारी सेवकों के परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में बिहार सरकारी सेवक (बायर्स) नियमावली, १९७६ के नियम १९ के उप नियम २ एवं ३ के लागू होने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतएव सभी सिविल को भी निम्नलिखित परिस्थितियों कापकी जानकारी के लिये स्पष्ट किया जा रहा है।

२- बिहार सरकारी सेवक (बायर्स) नियमावली, १९७६ के नियम १९ के उपनियम २ एवं ३ का अर्थ है कि कोई सरकारी सेवक या तो स्वयं अपने नाम में या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम में सम्पत्ति अर्जित करे। सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य यदि निजी स्रोत से विरासत में (Inheritance) कोई सम्पत्ति अर्जित करता है तो उस तरह अर्जित की गयी सम्पत्ति पर बिहार सरकारी सेवक (बायर्स) नियमावली १९७६ के नियम १९ के उपनियम २ एवं ३ लागू नहीं होंगे और नियम १० के अधीन दिए आमेकासे सम्पत्ति सम्पत्ती रिटर्न में भी बिसे सेवक को दाखिल करना है। इस तरह की सम्पत्ति का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

अतः अधोलिखित सभी सरकारी सेवकों को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाय।

विश्वासप्रार्थना,

कार्मिक विभाग

अधिसूचनाएं\*

१० फरवरी १९७६

जी० एस० आर० ४—भारत-संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल सरकारी सेवकों के आचार को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

१। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रयुक्ति।—(१) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, १९७६ कहलाएगी।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(३) यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमविधायी शक्तियों के अधीन हो।

२। परिभाषाएं।—(क) इस नियमावली में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, "सरकार" से अभिप्रेत है—

- (i) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएं भारत सरकार को सौंप दी गयी हों, भारत सरकार;
- (ii) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएं किसी अन्य राज्य की सरकार को सौंप दी गई हों, उस राज्य की सरकार; और
- (iii) अन्य सभी दशाओं में, बिहार सरकार।

(ख) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यों के सम्पादन के संबंध में सेवा करने के लिए नियुक्त ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में बिहार-राज्यपाल भारत-संविधान के अनुच्छेद ३०६ के अधीन नियम बनाने में सशक्त है, चाहे वह व्यक्ति उस समय भारत सरकार के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहा हो या किसी राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में, अथवा चाहे वह उस समय बाह्य सेवा में हो या छुट्टी पर हो।

स्पष्टीकरण।—जिस सरकारी सेवक की सेवाएं सरकार द्वारा किसी कम्पनी, निगम, संघटन या स्थानीय प्राधिकार को सौंप दी गई हों, वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, सरकार के अधीन काम करनेवाला सरकारी सेवक समझा जाएगा ही, बल्कि ही वह अपना वेतन राज्य की संचित निधि से भिन्न किसी स्रोत से पाता हो।

\*बिहार गजट (असाधारण) अंक २४३, दिनांक १० फरवरी १९७६, में प्रकाशित।

(ग) सरकारी सेवक के संबंध में "परिवार के सदस्य" में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

- (i) सरकारी सेवक की यथास्थिति, पत्नी या पति, चाहे वह सरकारी सेवक के साथ रहता/रहती हो या नहीं, किन्तु इसमें यथास्थिति, ऐसी पत्नी या पति शामिल नहीं है जो किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश से उस सरकारी सेवक से अलग हो गया/ गई हो ;
  - (ii) सरकारी सेवक का ऐसा पुत्र या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु इसमें ऐसा पुत्र/या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री शामिल नहीं है जो सरकारी सेवक पर अब आश्रित नहीं रह गया/गयी हो अथवा जिसको अभिरक्षा के दायित्व से सरकारी सेवक किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन बंचित कर दिया गया हो ;
  - (iii) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सरकारी सेवक की पत्नी या पति के साथ रक्तमूलक या विवाहमूलक संबंध रखता हो और उस सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो ।
- (घ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है—
- (i) राजपत्रित सरकारी सेवकों के विषय में, सरकार के वैसे विभाग जिनके संबंध (काडर) या स्थापना में वे रखे गए हों ;
  - (ii) श्रेणी I I के पद धारण करने वाले सरकारी सेवकों के विषय में, नियुक्ति प्राधिकारी ;
  - (iii) श्रेणी IV के पद धारण करने वाले सरकारी सेवकों के विषय में, उस स्थापना का प्रधान जिसमें वे रखे गए हों; और
  - (iv) ऐसे सरकारी सेवकों के विषय में, जो बाह्य सेवा में या प्रतिनियोजन पर हो, यथास्थिति वह मूल विभाग या कार्यालय जिसके संबंध या स्थापना में वह रखा गया हो ।

१।।(१) सामान्य ।—हर सरकारी सेवक सदा—

- (i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा ;
  - (ii) कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा; और
  - (iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए असोभनीय हो ।
- (२) हर सरकारी सेवक जो पर्यवेक्षी पद पर हो इसके लिये सभी संबंध प्रयास करेगा कि तत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन स्थित सभी सरकारी सेवक शीलनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखें ।
- (३) हर सरकारी सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के संपादन में अथवा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने उत्तम विवेक से ही काम लेगा, सिवाय वहां जहां



कि वह अपने उच्चतर पदाधिकारी के निदेश के अधीन काम कर रहा हो; और जब वह ऐसे निदेश के अधीन काम कर रहा हो, तब जहाँ व्यावहारिक हो, पहले ही लिखित निदेश ले लेगा और जहाँ पहले लिखित निदेश लेना व्यावहारिक न हो वहाँ उसके बाव्यथा शीघ्र उस निदेश की लिखित सम्पुष्टि करा लेगा।

स्पष्टीकरण।—नियम ३ के उप-नियम (३) की किसी बात से यह अर्थ न लगाया जायगा कि सरकारी सेवक को अपने उच्चतर पदाधिकारी या प्राधिकार से अनदेश या अनुमोदन लेकर अपने उत्तरदायित्वों से बचने की शक्ति वहाँ भी प्राप्त है जहाँ शक्तियों और उत्तरदायित्वों के वितरण की व्यवस्था के अनुसार ऐसा अनुदेश लेना आवश्यक नहीं है।

५। मादक पेयों और औषधों का सेवन।—(१) कोई सरकारी सेवक—

- (i) जिस समय कर्तव्य पर रहे, किसी मादक पेय या औषध के नशे से इस हद तक प्रभावित न रहेगा जिससे कि वह अपने कर्तव्यों को ठीक-ठीक और दक्षतापूर्वक निभाने में असमर्थ हो जाए;
- (ii) मादक पेय या औषध के प्रयोग का असंशयित रूप में अभ्यासी होगा;
- (iii) सार्वजनिक स्थान में नशे की अवस्था में उपस्थित न होगा; और
- (iv) सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पेय या औषध का सेवन न करेगा

स्पष्टीकरण।—इस नियम के प्रयोजनार्थ, सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (सबारी सहित) जिसमें ऐसा देकर या अन्यथा भ्राम जनता का प्रवेश होता है या अनुज्ञात है।

(२) हा सरकारी यंत्रक तत्समय जिम क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध सम्बन्धी विधि का कड़ाई के साथ पालन करेगा।

५। प्राइवेट उपक्रमों (उद्यमों) में सरकारी सेवकों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन।—(१) कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे प्राइवेट उपक्रमों में जिसके साथ उसे पदीय कारबार करना पड़ता है या किसी ऐसे अन्य उपक्रमों में जिसके साथ सरकार का कारबार चलता हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को नियोजन दिवाने के लिए अपने पदीय प्रभाव का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।

(२) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित को किसी ऐसे प्राइवेट उद्यम में, जिसके साथ उसका पदीय कारबार हो या किसी ऐसे उपक्रम में, जिसका सहायकार के साथ कारबार हो, कोई नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

परन्तु जहाँ किसी नियोजन की स्वीकृति सरकार की पूर्व अनुज्ञा की प्रतीक्षा में रोकनी नहीं जा सकती हो, या अन्यथा अति आवश्यक समझी जाए, वहाँ यह वा सरकार को सूचित की जायगी, और सरकार की अनुज्ञा की प्रत्याशा में नियोजन कच्चे तौर पर स्वीकार किया जा सकेगा।

(३) यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा अनुज्ञा अस्वीकृत होने के बावजूद, उपरि-निर्दिष्ट किसी नियोजन को स्वीकार कर ले, तो सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा और यह भी बताएगा कि उसे उक्त उपक्रम के साथ कोई पदीय कारबार है या था कि नहीं।

(४) (क) कोई सरकारी सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में किसी उपक्रम या अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी मामले में कोई कार्रवाई न करेगा तथा उसे कोई ठेका न देगा, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस उपक्रम में या उस अन्य व्यक्ति के अधीन नियोजित हो, अथवा वह स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य रीति से उस उपक्रम या उस अन्य व्यक्ति के साथ हित-सम्बद्ध हो।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में, सरकारी सेवक यह बात अपने उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और इसके बाद उस उच्चतर प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार वह मामला निबटाया जाएगा।

६। राजनीति और निर्वाचनों में भाग लेना।—(१) कोई सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संघटन का न तो सदस्य होगा, न अन्यथा उससे संश्लेषित होगा और न किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्य कलाप में भाग लेगा, न उसके सहायताार्थ चन्दा देगा या किसी दूसरे ढंग से उसकी सहायता करेगा।

(२) हर सरकारी सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्य कलाप में, जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्यत या उन्मुख हो, भाग लेने, सहायताार्थ चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से उसमें मदद पहुंचाने से रोकने की चेष्टा करे, और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आन्दोलन में या कार्य कलाप में भाग लेने, चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से मदद पहुंचाने से रोकने में विफल हो, तो वह सरकार को यह बात सूचित करेगा।

(३) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई आन्दोलन या कार्य कलाप इस नियम के दायरे के भीतर पड़ता है या नहीं, तो इस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(४) कोई सरकारी सेवक किसी विधान-मंडल या स्थानीय प्राधिकार के किसी निर्वाचन में न तो लोगों से मत-संयोजन (कनवासिंग) करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, और न भाग लेगा :

परन्तु (६) जिस सरकारी सेवक को ऐसे निर्वाचन में मत देने का अधिकार है वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु यदि यह ऐसा करेगा, तो यह बात प्रगट नहीं करेगा कि वह किसे मत देना चाहता है या उसने किसे मत दिया है ;

(ii) किसी सरकारी सेवक को केवल इसी कारण इस उप-नियम के उपबन्ध का उल्लंघन करनेवाला नहीं समझा जायगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अपने ऊपर सीपे गए कर्तव्यों के समुचित पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण।—किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने शरीर, सवारी या निवास पर किसी निर्वाचन-चिह्न के प्रदर्शन को इस उप-नियम के अर्थ के अन्तर्गत निर्वाचन में अपना प्रभाव डालना माना जायगा।

७। सरकारी सेवकों का संघों (एसोसिएशनों) में शामिल होना।—कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे संघ में शामिल न होगा या उसका सदस्य न रहेगा, जिसके उद्देश्य या कार्य कलाप भारत की सार्वभौमता और अखंडता अथवा लोक-व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हों।

८। प्रदर्शन और हड़ताल।—कोई सरकारी सेवक—

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित न होगा या उसमें भाग न लेगा, जो भारत की सार्वभौमता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक-व्यवस्था, अखंडता या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो अथवा जिसमें किसी न्यायालय का अवमान, किसी की मानहानि, या किसी अपराध के लिए उत्प्रेरण अन्तर्गत हो।

(ii) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से सम्बद्ध किसी विषय के संबंध में किसी प्रकार की हड़ताल या प्रपीड़न या शारीरिक संबाधन का न सहारा लेगा और न उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा।

९। समाचार-पत्र या रेडियो से संबंध।—(१) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए, किसी समाचार-पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशनों का पूर्णतः वा अंशतः स्वामी न होगा और न किसी प्रकार या रीति से उसका सम्पादन अथवा प्रबन्ध करेगा या उसमें भाग लेगा।

(२) कोई सरकारी सेवक, सरकार की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, अथवा अपने कर्तव्यों के वास्तविक पालन के अलावा—

(क) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए या किसी प्रकाशक के जरिए कोई पुस्तक प्रकाशित न करेगा या किसी पुस्तक या रचनाओं के संकलन में रचना न देगा, या

(ख) अपने नाम से या गुमनाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियो-प्रसारण में भाग न लेगा या किसी समाचार-पत्र या पत्र-पत्रिका को रचना न भेजेगा या पत्र न लिखेगा :

परन्तु ऐसी मंजूरी अपेक्षित न होगी, यदि—

- (i) ऐसा प्रकाशन किसी प्रकाशक के जख्त किया जाए, और विषय साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो, या
- (ii) ऐसी रचना, प्रसारण या लेखन विषय साहित्यिक या कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो ।

१०। सरकार की आलोचना।—कोई सरकारी सेवक किसी रेडियो-प्रसारण में अथवा गुमनाम या छपनाम से, या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख्य में या समाचार-पत्र को प्रेषित पत्रादि में अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसा तथ्य या विचार व्यक्त न करेगा—

- (i) जिसका अर्थ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नई नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो; या
- (ii) जो भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के पारस्परिक संबंध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो ;
- (iii) जो भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के पारस्परिक संबंध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो :

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी सरकारी सेवक को किसी ऐसे बतव्य या विचार पर लागू न होगी जिसे उसने अपनी पदीय हितियत से या अपने ऊपर सौंपे गए कर्तव्यों के सम्यक् पालन में दिया या व्यक्त किया हो ।

११। समिति या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष साक्ष्य।—(१) उप-नियम (३) में उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकार द्वारा की जानेवाली किसी जांच के संबंध में साक्ष्य न देगा ।

(२) जहां उप-नियम (१) के अधीन ऐसी मंजूरी दी गई हो वहां ऐसा साक्ष्य देते हुए सरकारी सेवक केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की आलोचना न करेगा ।

(३) इस नियम की कोई बात निम्नलिखित साक्ष्यों पर लागू न होगी :—

- (क) सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकार के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य,
- (ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, और
- (ग) सरकार के पञ्जीकृत प्राधिकारियों द्वारा प्राप्ति या किसी नियम के अंतर्गत दिया गया साक्ष्य ।

१२। जानकारी का अप्राधिकृत संसूचन।—कोई सरकारी सेवक, सरकार को किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण अथवा अपने ऊपर सीमे गए कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक पालन से अन्यथा, किसी सरकारी लेख्य या उसके किसी अंश की विषय-वस्तु या जानकारी किसी ऐसे सरकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संसूचित न करेगा, जिसे वह ऐसी विषय-वस्तु या जानकारी संसूचित करने के लिये प्राधिकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण।—किसी सरकारी सेवक द्वारा (कार्यालय-प्रधान या विभागाध्यक्ष या सरकार को संबोधित अपने स्पष्टीकरण, अभिवेदन, अपील, अभ्यावेदन आदि में) किसी ऐसे पत्र, परिपत्र या कार्यालय-ज्ञापन से अथवा किसी ऐसी संविदा को टिप्पणियों से, जिसे देखने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है अथवा जिसे वह अपने व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए या अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, उद्धरण लेना इस नियम के अर्थ में जानकारी का अप्राधिकृत संसूचन माना जाएगा।

१३। चंदा।—कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्ण मंजूरी के बिना किसी भी उद्देश्य से/के लिए कोई निधि या अन्य राशि जमा करने के लिए नकद या वस्तु रूप में चंदा न मांगेगा, न स्वीकार करेगा, न ऐसे काम में भाग लेगा।

१४। प्रीतिदान।—जहाँ इस नियमावली में अन्यथा उपबन्ध है वहाँ छोड़कर कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्ण मंजूरी के बिना, कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसके और से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति न देगा।

स्पष्टीकरण।—इस नियम के प्रयोजनार्थ "प्रीतिदान" के अन्तर्गत सरकारी सेवक से कोई पदीय संबंध न रखने वाले निकट संबंधी या व्यक्तिगत भित्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया मुफ्त परिवहन, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास, या कोई अन्य सेवा अथवा आर्थिक लाभ आते हैं, लेकिन इसके अन्तर्गत आकस्मिक भोजन, आकस्मिक प्रीतिदान या अन्य सामाजिक आतिथ्य नहीं आते हैं।

टिप्पणी।—सरकारी सेवक (i) अपने साथ पदीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का या किसी औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक फर्म, संगठन आदि का सूचीना या बारंबार आतिथ्य स्वीकार करने से और

(ii) किसी सावजनिक भवन के शिलान्यास या किसी समारोह के अवसर पर सेंट की गई कोई करनी, चाभी या ऐसी अन्य वस्तुएं स्वीकार करने से परहेज करेगा।

(२) विवाह, जन्म-तिथि, अन्त्येष्टि और द्वाभिक पर्व आदि जैसे अवसरों पर यदि प्रीतिदान देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, तो सरकारी सेवक अपने निकट संबंधियों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि ऐसे किसी प्रीतिदान का मूल्य ५०० रु० से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(३) उप-नियम (२) में यथाविनिर्दिष्ट अवसरों पर सरकारी सेवक अपने साथ पर्याय संबंध न रखने वाले व्यक्तिगत मित्तों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा किन्तु यदि ऐसे प्रीतिदान का मूल्य २०० रु० से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(४) अन्य किसी भी दशा में, सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की मजूरी के बिना, ऐसा कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा, यदि उसका मूल्य श्रेणी-१ या श्रेणी-२ का पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में ७५ रु० से अधिक और श्रेणी-३ या श्रेणी-४ का पद धारण करने वाली सरकारी सेवक की दशा में २५ रु० से अधिक हो :

परन्तु यदि सरकारी सेवक को लिए सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मजूरी प्राप्त करवा व्यवहार न हो, तो वह ऐसा प्रीतिदान स्वीकार करने के एक महीने के भीतर, यथास्थिति, सरकार या विहित प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा, जिसमें बताए जा कि किन परिस्थितियों में ऐसा प्रीतिदान स्वीकार किया गया, और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे प्रीतिदान का स्वीकार करने अनुमोदित न करे तो वह प्रीतिदान उसके दाता को लौटा देगा।

१५। सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन।— (१) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मजूरी के बिना, कोई सम्मान-पत्र या विदाई-पत्र या कोई प्रशंसापत्र स्वीकार न करेगा, या अपने या किसी अन्य सरकारी सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या समारोह में उपस्थित न होगा।

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित स्थितियों में लागू न होगी:—

(i) जहाँ किसी सरकारी सेवक के सम्मान में उसकी सेवा-निष्ठा या स्थानान्तरण के अवसर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने हाल ही में किसी सरकार की सेवा छोड़ी हो, भारत: वैयक्तिक और अनीपचारिक ढंग का विदाई-समारोह आयोजित किया जाए, या

(ii) जहाँ लोक-निकायों या संस्थाओं द्वारा नाममात्र रूप पर सौदा सरकार आयोजित किया जाए।

(२) कोई सरकारी सेवक किसी विदाई-समारोह में, भले ही वह पुरस्कार-प्राप्त और अनीपचारिक ढंग का हो, चन्दा देने के लिए किसी सरकारी सेवक पर किसी प्रकार का दबाव ही डाले या।

१६। प्राद्वैट व्यापार या नियोजन।—(१) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्वे मजूरी के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो कोई व्यापार या कारबार करेगा और न कोई नियोजन स्वीकार करेगा।

परन्तु कोई सरकारी सेवक, एंसी मजूरी के बिना, सामाजिक या परोपकारी ढंग का कार्य अथवा कर्म-कर्मी होने वाला साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का मास्यक (आनन्दरी) कार्य निम्नलिखित शर्तों पर कर सकेंगा :

(१) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे म्यारे के साथ सरकार को सूचित कर देगा।

(२) इसके चलते उसके पदोंय कर्तव्यों में बाधा न पड़ेगी, और

(३) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निदेश दे :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाच्य पद धारण करना होता हो तो वह सरकार की पूर्वे मजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में सहा नहीं होगा।

संश्लोकण।—यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी अथवा उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा एंजंसी या कम्पनी में एंजंसी के कार-भार को बढ़ाने के लिए कोई संयोजना (कनबासिंग) करे तो वह इस उल्लिखित का र्ण अथवा जाएगा।

संश्लोकण।—द्वितीय परल्लुक में निदिष्ट निर्वाच्य पद के किसी उम्मीद-भार या किन्हीं उम्मीदवारों के हित में मत-संयोजना (कनबासिंग) करना इस उप-नियम का अंग माना जायगा।

(२) यदि सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या कार-भार में लगा हो, अथवा उसके अगली या उसके द्वारा प्रबंधित कोई बीमा एंजंसी या कम्पनी एंजंसी हो तो वह सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा।

(३) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्वे मजूरी के बिना या अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन से अन्यथा कम्पनी अधिनियम (कम्पनीज ऐक्ट), १९५६ या पुरसमय प्रचलित किसी अन्य विधि के अर्धान रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक या कम्पनी के अथवा किसी एंसी सहकारी समिति के, जिसका मूल उद्देश्य वाणिज्य हो, रजिस्ट्री-करण, संबन्धन या प्रबंध में भाग न लेगा।

परन्तु कोई सरकारी सेवक सहकारी समिति अधिनियम, १९१२ (२, १९१२) या सामान्य मवृत्त किसी अन्य विधि के अर्धान रजिस्ट्रीकृत और मूलतः सरकार की सहकारी समिति के, अथवा समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), १८६० (२१, १८६०) या सामान्य

प्रवृत्त किसी अनुशासनी विधि के अन्वीन सञ्चितीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी संस्था के सञ्चालन एवं संचालन या प्रबंध में निम्नलिखित शर्तों के साथ भाग ले सकेंगा :-

(१) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे ध्यान के साथ सरकार को सूचित कर देगा।

(ii) इनके चलते उसके पदीय कर्तव्यों में बाधा न पड़ेगी। और

(iii) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निर्देश दे।

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाच्य पर धारण करना होता हो तो वह सरकार को पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पर के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा।

सन्देश। नरणा।- द्वितीय परलुक में निर्दिष्ट निर्वाच्य पद के लिए किसी उम्मीदवार या किन्हीं उम्मीदवारों के हित में मत-संयोजना (कनवासिस) करना इस उप-नियम का भंग माना जायगा।

(४) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपनी सम्पत्ति की बिक्री के लिए या कितो अन्य प्रयोजन के लिए कोई लाटरी न करेगा।

(५) कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी के मंजूर के बिना, किसी लोक-निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई काम करके उसके लिए कोई फीसन लेगा।

१७। धन-विनियान और ऋण लेना और देना।- (१) कोई सरकारी सेवक किसी भी स्टॉक, बॉन्ड या अन्य धन-विनियान में सट्टेबाजी नहीं करेगा।

सन्देश। नरणा।- शर्तों, प्रतिभूतियों और अन्य धन-विनियान-पत्रों के बराबर सरीद या बिक्री या दोनों इस उप-नियम के अर्थ में सट्टेबाजी समझे जायेंगे।

(२) कोई सरकारी सेवक कोई ऐसा धन-विनियान, जिससे उसे अपने पदीय कर्तव्यों के सन्वादन में परेशानी हो या उस पर प्रभाव पड़े, न स्वयं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या उसकी और से काम करे वाला किसी अन्य व्यक्ति को करे देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा धन-विनियान करने से रोकने में विफल हो तो वह व्यक्तिगत रूप से धन-विनियान करेगा।

(३) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई संव्यवहार उप-नियम (१) या उप-नियम (२) में निर्दिष्ट ढंग का है या नहीं, तो इस विषय पर सरकार के निर्णय पर होगा।

(४) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर भूमि या मूल्यवान् सम्पत्ति धारण करने या किसी व्यक्ति को न कर्ज देगा और न किसी भी व्यक्ति को व्यय पर सम्पत्ति देगा।



परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने वैयक्तिक नौकर को अग्रिम वेतन या अपने किसी मित्र या सम्बन्धी को छोटी-मोटी रकम बिना ब्याज के उधार दे सकेगा, भले ही ऐसे व्यक्ति की भूमि उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो।

(५) (i) कोई सरकारी सेवक, किसी बैंक या किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ चलने वाले कारबार (संव्यवहार) के सामान्य क्रम से अन्यथा, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या अर्थात् ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को, जो उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो या जिसके साथ उस सरकारी सेवक का पर्यटन कारबार चलने की सम्भावना हो, न उधार देगा, न उससे उधार लेगा, न उससे कोई धन मूल या ब्याज के रूप में निक्षिप्त करेगा, और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति, फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का कोई धन-संबन्धी आभार अपने ऊपर लेगा :

टिप्पणी (क)—यहां "धन संबंधी आभार" से अभिप्रेत है न केवल नकदी लेन-देन से उत्पन्न आभार, बल्कि इसमें सेवा या सुविधा के रूप में किसी प्रतिफल के बिना ऐसी कोई वस्तु लेना भी है, जो तुच्छ मूल्य की न हो :

(ख) किसी व्यक्ति को कोई धन ब्याज पर या इस रीति से उधार न देगा, जिसके अनुसार उस उधार का नकदी या जिन्सी प्रतिफल लिया या चुकाया जाता है :

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने किसी संबंधी या निजी मित्र को छोटी रकम का नितान्त अस्थायी ढंग का ब्याज-रहित उधार दे सकेगा या उससे ले सकेगा, अथवा किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधारी खाता चला सकेगा, या अपने वैयक्तिक कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा :

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम की कोई बात ऐसे किसी संव्यवहार के संबंध में लागू न होगी जो सरकारी सेवक ने सरकार की पूर्व मंजूरी से किया हो।

(ii) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने परिवार के किसी सदस्य को पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट प्रकार का कोई संव्यवहार करने की अनुज्ञा न देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा संव्यवहार करने से रोकने में असमर्थ हो जाए तो वह इस बात की सूचना सरकार को देगा।

(६) जब कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे पद पर नियुक्त या अंतर्हित किया जाए, जिससे उसके द्वारा उप-नियम (४) या (५) के उपबन्धों का भंग हो सकता हो तब, वह इस स्थिति की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को अविलम्ब करेगा और चाहे उन आदेशों के अनुसार काम करेगा जो ऐसा प्राधिकारी उसे दे।

१८। दिवाला और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी)।—कोई सरकारी सेवक अपना निजी कामकाज इस तरह चलाएगा कि उसके सामने आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी) या दिवाले की स्थिति न आने पावे। यदि किसी सरकारी सेवक पर लिए गए किसी ऋण का वसूला या दिवाले के लिए कोई विधिक कार्य-बाही चलाई जाए, तो वह अविलम्ब इस संबंध में पूरी बात सरकार को सूचित करेगा।

टिप्पणी।—यह सिद्ध करने का भार ऐसे सरकारी सेवक पर होगा कि ऋणग्रस्तता या दिवाला ऐसी परिस्थिति का परिणाम है, जिसमें वह अपनी सामान्य जागरूकता के बावजूद पहले ही लक्षित नहीं कर सकता था, या जिस पर उसका कोई बंध नहीं था, तथा जिसका कारण उसकी फिजूलखर्ची या मौज उड़ाने की आदत नहीं है।

१९। चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति।—(१) हरेक सरकारी सेवक, किसी सेवा में या पद पर आनी प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद, हरेक बार नव भासों के अंतराल पर, अपनी आस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी ऐसे फारम में, जो सरकार द्वारा विहित किया जाए, विहित प्राधिकारी को देगा जिसमें निम्न-लिखित विषयों के संबंध में पूरा ब्योरा दिया रहेगा :—

(क) ऐसी स्थावर सम्पत्ति, जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में पायी हो अथवा नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, पट्टे या बन्धक पर, उसके द्वारा धारित हो।

(ख) ऐसे शेयर, ऋणपत्र (डिबेंचर), संचयी आवधिक निक्षेप-पत्र और बैंक-निक्षेप सहित नकद रूपए, जो उसके अपने हों या उसने अर्जित किए हों या विरासत में पाए हों, अथवा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अपने द्वारा धारित हों।

(ग) अन्य चल सम्पत्ति जो उसे विरासत में मिली या इसी प्रकार स्वाजित या स्वधारित हो।

(घ) प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उसे उपगत ऋण और अन्य दायित्व, यदि कोई हो।

टिप्पणी।—(१) जबतक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, उप-नियम (१) के अन्वये शेषी ४ के सेवकों पर लागू नहीं होगा।

टिप्पणी 1—(२) सभी विवरणियों में १,००० रु० से कम मूल्य की चल संपत्ति की भदों का मूल्य जोड़ कर एक मुश्त दिखाया जाए। ऐसी विवरणी में कपड़े, बर्तन-बासन, पुस्तक आदि जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य शामिल करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी 1—(३) हरेक सरकारी सेवक, जो इस नियमावली के प्रारम्भ की तारीख को सेवा में हो, इस उप-नियम के अधीन विवरणी ऐसी तारीख तक प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रारम्भ के बाद सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परन्तु यदि ऐसा कोई संव्यवहार—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो, या

(ख) किसी नियमित या ख्यातिप्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए, तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(२) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा।

(३) हरेक सरकारी सेवक, चल संपत्ति के विषय में, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य श्रेणी-१ या श्रेणी-२ के पद पर काम करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में १,००० रु० से अधिक हो या श्रेणी-३ या श्रेणी-४ के किसी पद पर काम करने वाले सरकारी सेवक के मामले में ५०० रु० से अधिक हो, अपने नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम से किए गए हरेक संव्यवहार की रिपोर्ट संव्यवहार की तारीख से एक मास के भीतर विहित प्राधिकारी को देगा:

परन्तु यदि ऐसा कोई संव्यवहार—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो; या

(ख) किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए,

तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(४) सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने या अपनी ओर से या अपने परिवार के किसी सदस्य